विवाह में लड़के, लड़की और अभिभावकों के अधिकार

17-19 अप्रैल 1999 ई0 (29 ज़िलहिज्ज 1419 हि0 - 2 मुहर्रम 1420 हि0) को पटना में आयोजि 11 वें फ़िक्ही सेमिनार में, निकाह के मामले में लड़के, लड़की और अभिभावकों के अधिकारों पर ग़ौर किया और निम्न बातों को स्पष्ट किया गयाः

1- (अ) इस्लामी शरीअत में विलायते निकाह यानी निकाह के अवसर पर अभिभावक या सरपरस्त का अर्थ यह है कि किसी दूसरे को लड़के या लड़की के निकाह कराने का अधिकार हासिल होना।

(ब वली होने की दो शकलें हैंः

(1) विलायत-ए-इजबार (जब्र के साथ वली होना) इसका मतलब है ऐसा अधिकार जो लड़के या लड़की की इच्छा पर आधारित न हो

(2) विलायत-ए-इस्तेहबाब इसका मतलब है ऐसा अधिकार जो दूसरे की इच्छा पर आधारित हो।

(स) शरई उसूलों के अनुसार वली होने के लिए ये शर्तें ज़रूरी हैंः दिमाग़ी रूप से ठीक होना, बालिग़ (व्यस्क) होना, आज़ाद होना, विरासत का अधिकार रखना और मुसलमान होना।

2- हर अक़्ल रखनेवाले बालिग़ व्यक्ति को चाहे मर्द हो या औरत अपना निकाह ख़ुद करने का अधिकार है। जो बालिग़ नहीं है या दिमाग़ी रूप से ठीक नहीं है तो उनके निकाह का अधिकार उनके वली को हासिल होता है। इस सिलसिले में लड़के और लड़की के बीच कोई अन्तर नहीं है।

3- अक़्ल व शऊर रखने वाली बालिग़ लड़की को वली की इच्छा के बग़ैर ख़ुद अपना निकाह करने का अधिकार हासिल है, लेकिन अच्छा यह है कि दोनों की सहमति से निकाह हो।

4- अगर कोई अक़्ल रखने वाली बालिग़ लड़की अपने निकाह के मामले में ख़ानदानी एकरूपता (किफ़ाअत) या महर के अपेक्षित (मतलूबा) स्तर का ख़्याल न करे तो उसके वली या वलियों को यह हक़ हासिल होगा कि वह क़ाज़ी की मदद से इस निकाह को रोक दें, या दोनो को एक दूसरे से अलग करा दें।

5- (अ) अगर किसी नाबालिग लड़की का निकाह उसके बाप या दादा ने कराया हो तो वह निकाह बाक़ी रहेगा और लड़की को बग़ैर किसी ख़ास कारण के इसे ख़त्म करने का अधिकार न होगा। लेकिन अगर लड़की उस निकाह को इस लिए नापसंद करे कि बाप दादा ने किसी लालच में लापरवाही से या ग़लत तरीक़े से किया है तो उसे यह हक़ हासिल होगा कि वह क़ाज़ी की मदद से इस निकाह से मुक्ति हासिल कर ले। अगर लड़की का वली फ़ासिक़ (खुला गुनहगार) है तो भी लड़की को यह अधिकार प्राप्त होता है।

(ब) बाप और दादा के अलावा दूसरे किसी वली के ज़रिए कराया गया निकाह वैध है, लेकिन लड़की अगर बालिग़ होने पर इस निकाह से संतुष्ट न हो तो बालिग़ होने के वक़्त उसे यह निकाह ख़त्म कराने का हक़ हासिल होगा।

(स) कुंवारी लड़की के लिए इस हक़ का इस्तेमाल करना बालिग़ होने के वक़्त ही ज़रूरी है। शर्त यह है कि बालिग़ होने से पहले उसे निकाह की जानकारी हो चुकी हो और शरीयत का हुक्म भी उसे मालूम हो। दूसरी स्थिति में उसे यह हक़ तब तक हासिल रहेगा जब उसे निकाह की जानकारी हो जाए, या पूरी समस्या से वह अवगत हो जाए।

(द) शौहर दीदा जिसकी शादी पहले हो चुकी हो उस लड़की को यह हक़ उस वक़्त तक हासिल रहेगा जब तक कि उसकी तरफ़ से रज़ामन्दी का इज़हार न हो, चाहे वह इसका इज़हार स्पष्ट रूप से करे या सांकेतिक रूप से। इसी तरह यह हक़ उस वक़्त तक रहेगा जब तक उसको इस मसले का ज्ञान न हो जाए या निकाह की जानकारी न हो जाए।

6- (अ) अगर समान स्थिति रखने वाले कई वली मौजूद हों तो जो वली भी पहले निकाह करादे उसका निकाह सही मान्य है। किसी भी वली को निकाह कराने का अधिकार है और जो भी निकाह कर दे उसका निकाह मान्य होगा।

(ब) क़रीबी सम्बन्ध रखने वाले वली की मौजूदगी के बावजूद कोई दूर का रिश्तेदार वली नाबालिग़ लड़की या लड़के का अगर निकाह कराएगा तो उसके लिए क़रीबी सम्बन्ध रखने वाले वली की इजाज़त ज़रूरी होगी, लेकिन किसी वजह से फ़ौरी तौर पर क़रीबी वली की राय लेना मुम्किन न हो और निकाह करने की जल्दी हो और देर करने की शक्ल में क़ुफ़ू के फ़ौत (ख़त्म) होने का ख़तरा हो तो दूर के वली के ज़रिए कराया गया निकाह मान्य होगा।

☆☆☆